नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 1994

संख्या पी0 सी0— 94/803— पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाण के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूचि में यथाविनिदिष्ट और इससे संलग्न नक्शें में दर्शाए गए अनुसार गांव झुण्ड सराय अबाद, तहसील और जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस पास के क्षत्रों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थातः—

अनुसूची

गांव झुण्ड सराय अबाद, तहसील और जिला गुड़गांव में राजकीय प्राईमरी विद्यालय के इर्द-गिर्द के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा-अनुसूची को ड्राईंग संख्या डीoटीoपीo (जी) 413/93 दिनांक 25 मई, 1993 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर: बिन्दु 'क' से लेकर अर्थात गांव पाटली हाजीपुर की आयत संख्या 114 का उत्तर—पश्चिमी कोना, उसके बाद गांव पाटली हाजीपुर की आयत संख्या 114, 113,110 और 107 की उत्तरी सीमा के साथ—2 पूर्व की ओर बिन्दु 'ख' तक जहां यह ड्राईंग पर दर्शाए गए अनुसार गांव झुण्ड सराय वीरन की पश्चिमी सीमा से मिलती है अर्थात कथित गांव की आयत संख्या 2 को उत्तर—पूर्वी कोने से मिलती है।

पूर्व: उसके बाद गांव झुण्ड सराय वीरन की आयत संख्या 2,9,10 और 19 तथा गांव भंगरौला की आयत संख्या 10 की पूर्वी सीमा के साथ—2 दक्षिण की ओर, उसके बाद आयत संख्या 13 की उत्तरी सीमा के साथ—2 पूर्व की ओर और उसके बाद गांव भंगरौला की आयत संख्या 13,30,36 तथा 53 और गांव बास हिरेया (अलियार) की आयत संख्या 12,14 तथा 15 की पूर्वी सीमा के साथ—2 दक्षिण की ओर और उसके बाद आयत संख्या 15 की दिक्षणी सीमा के साथ—2, पश्चिम की ओर उसके बाद गांव बास हिरेया (अलियार) की आयत संख्या 22 की पूर्वी सीमा के साथ—2 दिक्षण की ओर बिन्दु 'घ' तक जो गांव बास हिरेया (अलियार) की आयत संख्या 22 का दिक्षण—पूर्वी कोना है।

दक्षिणः उसके बाद गांव बास हरिया (अलियार) की आयत संख्या 22,21 और 18 तथा गांव धाना की आयत संख्या 12,2 तथा 3 और गांव बाबरा बकीपुर की आयत संख्या 51 की दक्षिणी सीमा के साथ–2 पश्चिम की ओर बिन्दु 'ड' तक जो बाबरा बकीपुर की आयत संख्या 51 का दक्षिण कोना है।

पश्चिमः उसके बाद गांव बाबरा बकीपुर की आयत संख्या 51,37,34 और 15 की पश्चिमी सीमा के साथ—2 उत्तर की ओर, उसके बाद गांव पाटली हाजीपुर की आयत संख्या 152 के साथ—2 उत्तर—पश्चिम की ओर उसके बाद आयत संख्या 151 और 147 की पश्चिमी सीमा के साथ—2 उत्तर की ओर, उसके बाद आयत संख्या 147 की उत्तरी सीमा के साथ—2 पूर्व की ओर, उसके बाद आयत संख्या 138 की उत्तरी सीमा के साथ—2 पूर्व की ओर, उसके बाद आयत संख्या 130 की पश्चिमी सीमा के साथ—2 उत्तर की ओर, उसके बाद आयत संख्या 130 की पश्चिमी सीमा के साथ—2 उत्तर की ओर, उसके बाद आयत संख्या 130 की उत्तरी सीमा के साथ—2 पूर्व की ओर उसके बाद गांव पाटली हाजीपुर की आयत संख्या 120,121 और 114 की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर की ओर बिन्दु 'क' तक अर्थात आरम्भ के बिन्दु तक।

प्रदीप कुमार, आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

170

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN.31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKA)

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT Notification

The 25th January, 1994

No. PC-94/803- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (I) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby declare the area around Govt. Primary School at village- Jhund Sarai Abad of tehsil and district Gurgaon as specified in the schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of controlled area around Government Primary School at village, Jhund Sarai Abad Tehsil and District Gurgaon to be read with Drg No DTP(G) 413/93, dated 25th May 1993.

North:Starting from point 'A' i.e. north-western corner of Rect No-114 of village Patli Hazipur, thence towards east along the northern boundary of Rect. No. 114,113,110 and 107 of Village Patli Hazipur, upto point 'B; where it meets with the western boundary of village Jhund Sarai Viran as shown on the Drawing i.e. north-east corner of Rect. No. 2 of the said village.

East: Thence, towards south along eastern boundary of Rect. No. 2,9,10 and 19 of village Jhund Sarai Viran and of Rect. No. 10 of village Bhangraula, thence towards east along the northern boundary of Rect. No. 13 and thence towards south along the eastern boundary of Rect. No. 13,30,36 and 53 of village Bhangraula and Rect. No. 12,14 and 15 of village Bas Haria (Aliyar) and thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 15, thence towards south along the eastern boundary of Rect. No. 22 of village Bas Haria (Aliyar) upto point' D' which is the south east corner of Rect. No. 22 of the village Bas Haria (Aliyar).

South:Thence, towards west along the southern boundary Rect No-22,21 and 18 of village Bas Haria (Aliyar) and Rect. No. 12,2 and 3 of Village Dhana and Rect. No. 51 of Village Babra Bakipur upto point 'E' which is the south west corner of Rect. No. 51 of Village Babra Bakipur.

West: Thence, towards north along western boundary of Rect No- 151,37,34 and 15 of village Babra Bakipur thence towards north-west along Rect. No. 152 of Village Patli Hazipur, thence towards north along western boundary of Rect. No. 151 and 147, thence towards east along northern boundary of Rect. No. 147, thence towards north along western boundary of Rect. No. 138, thence towards east along northern boundary of Rect. No. 138, thence towards north along western boundary of Rect. No. 130, thence towards east along northern boundary of Rect. No. 130, thence towards north along western boundary of Rect. No. 130, thence towards north along western boundary of Rect No.120, 121 and 114 of village Patli Hazipur upto 'A' i.e. the point of start.

PRADEEP KUMAR

Commissioner & Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department.